अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 200(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड'' जोकि तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड डेनेज बोर्ड एक्ट (1971 का तमिलनाडु एक्ट सं.4) अंतर्गत गठित एक बोर्ड है, को, उक्त बोर्ड को होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेज ;

(ख) बल्क वाटर सप्लाई के लिए स्थानीय निकार्यों से एकत्रित (तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रशुल्क पर) जल प्रभार;

(ग) बैंकों में जमा और निवेश पर ब्याज, भाड़ा तथा स्थानीय निकार्यों से प्राप्त जमा राशियों पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- ''तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड'' :—

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 5/2015/फा.सं. 196/28/2013-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक